राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकः प.1(153)कार्मिक/क–3/जांच/2022 जयपुर, दिनांक 14.08.2022

आदेश

श्री अजय (जन्म तिथि 15.06.1976), आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन, पाली के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित है।

अतः राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री अजय, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन, पाली को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के एतदद्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री अजय, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन, पाली का निलम्बन काल में मुख्यालय शासन प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

14/8/2022

(कैलाश चन्द्र कुमावत)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/1) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री अजय (जन्म तिथि 15.06.1976), आर.ए.एस. को तामिल कराकर प्राप्ति रसीद शीघ्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें, साथ ही श्री अजय, आर.ए.एस. को निलम्बित अधिकारियों हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें। इसके अतिरिक्त इन्हें यह भी निर्देशित करें कि वे अपना मुख्यालय शासन प्रमुख सचिव (कार्मिक विभाग) की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना नहीं छोड़े। श्री अजय, आर.ए.एस. को निलम्बन अवधि में उनके अवकाश वेतन के बराबर यदि वे अर्द्ध वेतन अवकाश पर रहते के बराबर निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होगें।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग(DOB 15.06.1976)।
6. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क–3/निरीक्षण) विभाग।
9. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. सिस्टम ऐनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
11. जिला कलक्टर, पाली को प्रेषित कर लेख है कि श्री अजय, आर.ए.एस. के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.2002 एवं 19.05.2016 के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिपूर्ण प्रस्ताव मय अभिलेख सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त प्रशासनिक विभाग के माध्यम से इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करावें।
12. श्री अजय (जन्म तिथि 15.06.1976), आर.ए.एस को निर्देशित किया जाता है कि शासन प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में नियमित उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि शासन प्रमुख सचिव, कार्मिक की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़े।

   क्रम संख्या 12 **द्वारा** :– **संयुक्त शासन सचिव,**
   कार्मिक (क–4/1) विभाग, राज. जयपुर।

13. रक्षित पत्रावली।

14/8/2022

शासन उप सचिव